

# इस साल डेट फंडों का रिटर्न दमदार

अभिषेक कुमार  
मुंबई, 20 दिसंबर

ब्याज दर में कोई बदलाव न होने के बावजूद डेट म्यूचुअल फंड (एमएफ) योजनाएं प्रदर्शन के लिहाज से 2024 पिछले चार वर्षों में सबसे उम्दा कैलेंडर वर्ष रहने जा रहा है। डेट फंडों के एक साल के प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चलता है कि कई योजनाओं ने वर्ष 2024 में दो अंक का रिटर्न दिया है। लंबी अवधि वाले डेट फंडों का प्रदर्शन शानदार रहा। ये फंड योजनाएं सिर्फ टॉप रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में ही निवेश करती हैं। इस श्रेणी की सभी सात योजनाओं ने पिछले एक साल में 10 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है।

वैच्युरिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश गिल्ट फंड और डायनेमिक बॉन्ड फंड भी 9 प्रतिशत से अधिक चढ़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय वर्ष के दौरान हुई कई सकारात्मक गतिविधियों को दिया जा सकता है, जिनमें वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होना और राजकोषीय समझदारी शामिल है।

दूरत म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्याधिकारी संदीप बागला ने कहा, 'बॉन्ड यील्ड ने साल की शुरुआत सख्त तरलता काल, ऊंची मुद्रास्फीति और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सतर्क रुख के कारण ऊंचे स्तर पर शुरुआत की। साल के दौरान कई कारक घरेलू बॉन्ड के लिए सकारात्मक साबित हुए। समग्र महंगाई में कमी आने लगी और मुख्य महंगाई, यानी खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई।' इस साल भारत सरकार के बॉन्डों को जेपी माँग



ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया। घरेलू बॉन्डों को भी 2025 में एफटीएसई रसेल ईएमजीबी इंडेक्स और ब्लूमबर्ग ईएम लोकल करेसी गवर्नमेंट इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'सरकारी बॉन्डों को कुछ वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया गया। इससे सुनिश्चित हुआ कि उन विदेशी निवेशकों की लगातार खरीद बनी रहेगी जो इन सूचकांकों पर नजर रखते हैं।' 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड वर्ष के शुरू में 7.17 फीसदी पर था जो अब 6.79 फीसदी पर है। यील्ड में गिरावट बॉन्डधारकों के लिए सकारात्मक होती है,

क्योंकि कीमतें और यील्ड का विपरीत संबंध होता है। यील्ड में उतार-चढ़ाव मुख्यतः मांग-आपूर्ति के गणित, ब्याज दरों में बदलाव तथा अन्य घरेलू वृहद एवं वैश्विक कारकों पर निर्भर करता है। मनी मार्केट फंड, कम अवधि वाले फंड और अल्ट्रा-शॉर्ट अवधि वाले फंड जैसे कम निवेश अवधि वाले फंड भी 2024 में कई वर्षों में ऊंचे रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। 19 दिसंबर तक उन्होंने एक वर्ष की अवधि में करीब 8 प्रतिशत रिटर्न दिया था। फंड प्रबंधकों के अनुसार 2024 की तेजी 2025 में भी बरकरार रहने की संभावना है। आरबीआई द्वारा दर कटौती

## बीते चार वर्षों में सबसे शानदार रहा 2024

■ वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने और आपूर्ति कम होने से रिटर्न को मिला दम

■ ये फंड योजनाएं सिर्फ टॉप रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में ही निवेश करती हैं

■ इस श्रेणी की सभी सात योजनाओं ने पिछले एक साल में 10 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है

■ अगले साल दर कटौती की संभावना डेट बाजार के लिए अनुकूल

■ गिल्ट फंड और डायनेमिक बॉन्ड फंड भी 9 प्रतिशत से अधिक चढ़े हैं

की संभावना को अगले साल डेट बाजार के लिए अनुकूल माना जा रहा है।

बंधन एएमसी में फिक्स्ड इनकम में प्रमुख सुयश चौधरी ने कहा, 'हमारा मानना है कि खपत में कमी के साथ वृद्धि चक्रीय रूप से धीमी रहेगी और प्रस्तावित नए टैरिफ और चीन द्वारा अपनी अतिरिक्त क्षमता का निर्यात करने के दबाव से व्यावसायिक धारणा के संबंध में अनिश्चितता दिख सकती है।' सुस्त आर्थिक वृद्धि के कारण केंद्रीय बैंक अगले वर्ष की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

## एक्सचेंज के नतीजों का असर

# भारतीय आईटी फर्मों के प्रति उत्साह बढ़ा

निकिता वशिष्ठ  
नई दिल्ली, 20 दिसंबर



वैश्विक सलाहकार एक्सचेंज की पहली तिमाही की आय के आधार पर शुक्रवार को विश्लेषकों ने कहा कि भारत का आईटी उद्योग एक कठिन दौर के बाद अब लगातार आय सुधार के लिए तैयार है।

फॉर्च्यून-500 में शामिल कंपनी एक्सचेंज का मुख्यालय डबलिन में है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की सितंबर-नवंबर तिमाही में 17.7 अरब डॉलर का राजस्व कमाया। डॉलर के लिहाज से यह सालाना आधार पर 9 प्रतिशत और स्थानीय मुद्रा में 8 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्व आय लगभग 24 करोड़ डॉलर थी जो कंपनी के ऊपरी अनुमानित दायरे से अधिक है। कंपनी सितंबर-अगस्त वित्त वर्ष पर अमल करती है। कंपनी के वैश्विक कर्मियों का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत में है। भारतीय आईटी कंपनियों वैश्विक मांग का आकलन करने के लिए एक्सचेंज के रूझानों पर नजर रखती हैं।

एक्सचेंज ने वित्त वर्ष 2025 की राजस्व वृद्धि का अपना स्थानीय मुद्रा अनुमान पहले के 3-6 फीसदी से बढ़ाकर 4-7 फीसदी कर दिया है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषक लार्जकैप में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो और एलटी-आईआईडटी पर दांव लगा रहे हैं। मिडकैप में उनके पसंदीदा शेयरों में सोनाटा सॉफ्टवेयर, सायट, इक्लवर्स और बिरला सॉफ्ट शामिल हैं।

एक्सचेंज की पहली तिमाही एक्सचेंज के प्रबंधन का कहना है कि पहली तिमाही की राजस्व वृद्धि हेतु एवं पब्लिक सर्विसेज व्यवसाय (पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि), उत्पाद (10 प्रतिशत), दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी (7 प्रतिशत), संसाधन (6 प्रतिशत) और वित्तीय सेवाओं (4 प्रतिशत) के कारण हुई।

आउटसोर्सिंग से राजस्व स्थानीय मुद्रा के लिहाज से 11 फीसदी बढ़ा, जिसे टेकनालों-प्रबंधित सेवाओं में दो अंक की वृद्धि और परिचालन में

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की सितंबर-नवंबर तिमाही में 17.7 अरब डॉलर का राजस्व कमाया।

मजबूत एक अंक की वृद्धि से मदद मिली। कंसल्टिंग व्यवसाय सालाना आधार पर स्थानीय मुद्रा में 6 फीसदी बढ़ा। अमेरिका (उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका समेत) में व्यवसाय स्थानीय मुद्रा में 11 फीसदी बढ़ा जबकि यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में 6 फीसदी और एशिया प्रशांत में 4 फीसदी बढ़ा।

नोमुरा के विश्लेषकों का कहना है, 'हालांकि डिस्क्रेशनरी मांग में मजबूत सुधार आने में कुछ तिमाहियों का वकत लग सकता है। लेकिन इसके और खराब होने की संभावना नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारे क्लाइंट वाले लाजकैप के लिए राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2026 में सुधरेगी।' नोमुरा ने लाजकैप में इन्फोसिस और विप्रो पर 'खरीदें' रेटिंग और एलटीआईआईआईडटी, एम्प्रेसिस तथा एलटीटीएस पर 'घटाएं' रेटिंग दी है।

एक्सचेंज का आउटलुक

एक्सचेंज ने वित्त वर्ष 2025 में परिचालन मार्जिन वृद्धि के लिए अपना अनुमान बरकरार रखा है। कंपनी ने परिचालन मार्जिन 80-110 आधार अंक बढ़कर 15.6-15.8 फीसदी रहने का अनुमान जातया है। समायोजित परिचालन मार्जिन 10-30 आधार अंक तक बढ़कर 15.6-15.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। कंपनी को उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण वाले परिवेश और सीमित बजट के बावजूद वित्त वर्ष 2025 में कंसल्टिंग व्यवसाय मध्यम एक अंक में और प्रबंधित सेवाएं मध्य से ऊंचे उक अंक में बढ़ेंगी।

# एसएमई आईपीओ के लिए नए नियम

खुशबू तिवारी  
मुंबई, 20 दिसंबर

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के एक दिन बाद ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने लागू और मंजूर उद्यमों (एसएमई) की सूचीबद्धता के लिए नई पात्रता शर्तें लागू कर दी हैं।

एनएसई ने आज 20 दिसंबर को जारी सक्लर में कहा है, 'एनएसई इमर्ज पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के इच्छुक एसएमई को उन सभी अतिरिक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा जिनको सेबी ने अपनी 208वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी है।' आमतौर पर बाजार नियामक की अधिसूचना जारी होने के बाद ही मानदंड प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन एनएसई ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन्हें 19 दिसंबर से ही लागू कर दिया है।

एनएसई ने कहा, 'एसएमई फ्रेमवर्क पर अतिरिक्त शर्तें/मानदंड सैद्धांतिक मंजूरी पाने के लिए 19 दिसंबर 2024 को उद्यमों को बंद होना चाहिए। अमेरिका (उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका समेत) में व्यवसाय स्थानीय मुद्रा में 11 फीसदी बढ़ा जबकि यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में 6 फीसदी और एशिया प्रशांत में 4 फीसदी बढ़ा।

नोमुरा के विश्लेषकों का कहना है, 'हालांकि डिस्क्रेशनरी मांग में मजबूत सुधार आने में कुछ तिमाहियों का वकत लग सकता है। लेकिन इसके और खराब होने की संभावना नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारे क्लाइंट वाले लाजकैप के लिए राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2026 में सुधरेगी।' नोमुरा ने लाजकैप में इन्फोसिस और विप्रो पर 'खरीदें' रेटिंग और एलटीआईआईआईडटी, एम्प्रेसिस तथा एलटीटीएस पर 'घटाएं' रेटिंग दी है।

खुशबू तिवारी  
मुंबई, 20 दिसंबर

बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका (पीआईएल) में मांग की गई है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को निर्देश दिए जाएं कि उसने निवेशक जागरूकता और सुरक्षा उपायों के तहत 'ब्रामक' और 'गुमराह' करने वाले विज्ञापन अभियानों के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फ़ी) को जो अनुमति दी है, उसे रद्द कर दे।

याची पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने आरोप लगाया है कि एम्फ़ी 'बिना किसी आधार या तर्क के लापरवाही से यह प्रचार कर रहा है कि म्यूचुअल फंड सही हैं।' याची ने आरोप लगाया है, 'विज्ञापन अभियान पूरी तरह से निराधार, लापरवाह, झूठे, आधारहीन और गुमराह करने वाले हैं, जिनमें सकारात्मक फीस पर तोड़-मरोड़कर जोर दिया गया है।' एम्फ़ी के विज्ञापनों की तुलना भारतीय

## 6 निर्गमों को शुक्रवार को संपूर्ण बोलियां

बीएस संवाददाता  
मुंबई, 20 दिसंबर

डैम कैपिटल एडवाइजर्स, सनातन टेक्सटाइल्स, कॉनकोर्ड एनवायरो सिस्टम्स, ममता मशीनरी और ट्रांसरेल लाइटिंग के आईपीओ को 1.24 से 37.75 गुना तक बोलियां मिली हैं। वहीं शुक्रवार से खुले वॉल्ट हास्पिटैलिटी, सेनोरेस फार्मास्युटिकल्स और कैरारो इंडिया को 0.09 से 1.78 गुना तक सबसक्राइब किया गया।

संयुक्त रूप से इन आठ निर्गमों से 5,501 करोड़ रुपये जुटाए जाने हैं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स, सनातन टेक्सटाइल्स, कॉनकोर्ड एनवायरो सिस्टम्स, ममता मशीनरी और ट्रांसरेल लाइटिंग के आईपीओ सोमवार को बंद हो जाएंगे और अन्य शेष के लिए मंगलवार तक बोलियां लगाई जा सकेंगी। इससे दिसंबर इस

साल आईपीओ के लिए बेहद व्यस्त महीना बन गया है। कंपनियों आमतौर पर दिसंबर में आईपीओ लाने से बचती हैं क्योंकि उन्हें साल के अंत में होने वाली छुट्टियों के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सीमित भागीदारी की चिंता रहती है। हालांकि, नए इश्यू और लिस्टिंग लाभ की मजबूत मांग ने ऐसी कंपनियों को बाजार में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया है।

इस बीच, शुक्रवार को बाजार में दस्तक देने वाला इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट अपने निर्गम भाव के मुकाबले पहले दिन 12.75 फीसदी तेजी के साथ बंद हुआ। यह शेयर अपने निर्गम भाव के मुकाबले 21 फीसदी तेजी के साथ 504.85 पर खुला था। हालांकि बाद में कुछ बढ़त गंवाते हुए आखिर में 470.15 पर बंद हुआ। सूचीबद्धता के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 20,318 करोड़ रुपये हो गया है।

कर दिया गया है। सेबी ने एसएमई के हित में कई नियमों को सरल बनाने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है जो एनएसई के मुख्य प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों पर लागू होते हैं। वित्त वर्ष 2012 से अक्टूबर 2025 तक एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध 572 कंपनियों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये

जुटाए हैं। इनमें से 140 मेनबोर्ड पर आ गई हैं। एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने के लिहाज से सितंबर में 1,194 करोड़ रुपये के साथ सर्वाधिक ऊंचा स्तर दर्ज किया गया था, लेकिन अक्टूबर में यह आंकड़ा घटकर 980 करोड़ रुपये रह गया।

# एम्फ़ी के 'म्यूचुअल फंड सही है' विज्ञापनों के खिलाफ जनहित याचिका दायर

खुशबू तिवारी  
मुंबई, 20 दिसंबर



बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका (पीआईएल) में मांग की गई है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को निर्देश दिए जाएं कि उसने निवेशक जागरूकता और सुरक्षा उपायों के तहत 'ब्रामक' और 'गुमराह' करने वाले विज्ञापन अभियानों के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फ़ी) को जो अनुमति दी है, उसे रद्द कर दे।

याची पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने आरोप लगाया है कि एम्फ़ी 'बिना किसी आधार या तर्क के लापरवाही से यह प्रचार कर रहा है कि म्यूचुअल फंड सही हैं।' याची ने आरोप लगाया है, 'विज्ञापन अभियान पूरी तरह से निराधार, लापरवाह, झूठे, आधारहीन और गुमराह करने वाले हैं, जिनमें सकारात्मक फीस पर तोड़-मरोड़कर जोर दिया गया है।' एम्फ़ी के विज्ञापनों की तुलना भारतीय

चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बंबई उच्च न्यायालय से सेबी को निर्देश देने का किया अनुरोध

रिजर्व बैंक (आरबीआई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और खुद सेबी जैसी अन्य संस्थाओं के विज्ञापनों से करते हुए याची ने तर्क दिया है कि उपर्युक्त विज्ञापन किसी भी कारोबार

को बढ़ावा नहीं देते हैं, उनका कोई वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं है। वे पूरी तरह सार्वजनिक भलाई के लिए हैं।

याचिका में कहा गया है, 'एम्फ़ी द्वारा प्रचारित विज्ञापन अभियानों में निवेशक शिक्षा या जागरूकता जैसा कोई भी तत्व नहीं है। ये विज्ञापन अभियान म्यूचुअल फंड की विशेषताओं और फीस, इनको सीमाओं/बाधाओं आदि के बारे में प्रकाश नहीं डालते या उल्लेख नहीं करते, बल्कि बिना किसी आधार या गुणवत्ता के केवल इस बात का जोरदार समर्थन करते हैं और एक छोटे हैं कि म्यूचुअल फंड सही हैं, महज एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ।'

याची ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन वाणिज्यिक प्रकृति के हैं और इनका उद्देश्य केवल एम्फ़ी के सदस्यों को लाभ पहुंचाना है, न कि निवेशकों की सुरक्षा की ज्यादा परवाह करना। कानून के जानकारों का कहना है हाई कोर्ट ने इस मामले में बाजार नियामक को नोटिस भेजा है।

# सेबी ने डेटा शेयरिंग नीति में एकरूपता पर जोर दिया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिफॉजिटरीज को निर्देश दिया कि वे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले शोध और शोध प्रकाशनों के लिए डेटा साझा करने के लिए समान नीति अपनाएं।

इन मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (एमआईआई) को ऐसे डेटा को दो बास्केट में अलग करने के लिए कहा गया है, एक जिसे सार्वजनिक तौर पर साझा किया जा सकता है और दूसरा जिसे सार्वजनिक किया जा सकता है। पहले बास्केट में सिर्फ सकल और विश्लेषित डेटा होगा, जिसमें नियामकों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग और खुलासा किए जाने वाले डेटा भी शामिल होंगे।

सेबी ने कहा कि डेटा को अलग अलग रखने का मकसद सार्वजनिक डोमेन में किसी भी व्यक्तिगत, संवेदनशील या गोपनीय जानकारी का सार्वजनिक करने से रोकना है।

दूसरे बास्केट में केवाईसी जानकारी, ट्रेड लॉग, किसी इकाई या व्यक्ति की हेल्डिंग जानकारी आदि शामिल हैं, जिसमें इकाई या व्यक्ति की पहचान शामिल है। इसके अलावा, यहां तक कि गुप्त डेटा भी सार्वजनिक डोमेन में साझा नहीं किया जाएगा, जिसका उपयोग व्यक्ति या इकाई की पहचान के लिए किया जा सकता है। एमआईआई को प्रत्येक बास्केट के तहत डेटा की सूची दो महीने के भीतर सेबी को मंजूरी के लिए साझा करने के लिए कहा गया है।



सेबी (इक्विटी शेयरों की अस्वीकृतता) विनियम, 2021 के विनियमन 32 (4) (ए) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य अस्वीकृतता के लिए सार्वजनिक सूचना

कंपनियों का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता	उचित मूल्य (₹ प्रति शेयर)	प्रवर्तकों के नाम	प्रवर्तकों के पते
सेलेस्टियल ब्यालेन्स लिमिटेड प्लॉट नंबर 99, रोड नंबर 12, एपीआईआईडी टेक पार्क अंधोली नगराम, हैदराबाद 500066	₹ 1.10/-	आदित्य नारायण सिंह	प्लॉट नंबर 6-3-13C, 101 शिव उमा सदन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500094
अमित सिंह	प्लॉट नंबर 34 / 132 / 3 कृपा कृष्णा अपार्टमेंट रोड नंबर 12, एपीआईआईडी टेक पार्क अंधोली नगराम, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500033	किरीट ब्लॉक भर्णी, कोलोनी सैनिकपुरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500094	प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 102, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500094
पद्मा सिंग	प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 102 शिव उमा सदन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500094	सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500094	प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 102 शिव उमा सदन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500094
नितिन कुमार सिंह	प्लॉट नंबर 6-6-13C, 101 शिव उमा सदन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500094	सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500094	प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 102 शिव उमा सदन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500094
अनीता सिंह	प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 102 शिव उमा सदन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500094	सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500094	प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 102 शिव उमा सदन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 500094
जेआईके इंस्टीट्यूट लिमिटेड दुकान नंबर 1, दादलाना पार्क, पाडवलाइन रोड के पास, बालकुम, ठाणे महाराष्ट्र।	₹ 2.98/-	आदित्य राजेंद्र पारीब	31 योगेश भुवन, एन एस पाटकर रोड गाम्भेदी, मुंबई- 400009
राजेंद्र जी पारीब	प्लॉट नंबर 10, 30वीं मंजिल, चिक्को विल्डिंग, अल्टामाउंट रोड, मुंबई - 400026	31, योगेश भुवन, एन एस पाटकर रोड, मुंबई - 400009	प्लॉट नंबर 10, 30वीं मंजिल, चिक्को विल्डिंग, अल्टामाउंट रोड, मुंबई - 400026
जागृति पारीब	प्लॉट नंबर 102, 14वीं मंजिल, लोडा प्रिमेरो विल्डिंग, एन एन जोशी मार्ग, महावक्ली, मुंबई - 400011	31, योगेश भुवन, एन एस पाटकर रोड, मुंबई - 400009	प्लॉट नंबर 102, 14वीं मंजिल, लोडा प्रिमेरो विल्डिंग, एन एन जोशी मार्ग, महावक्ली, मुंबई - 400011
कोपेस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड #	प्लॉट नंबर 1, ददलाना पार्क, पाडवलाइन रोड के पास, बालकुम, श्रीरंगनगर, ठाणे 400006	शेष नंबर 1, ददलाना पार्क, पाडवलाइन रोड के पास, बालकुम, श्रीरंगनगर, ठाणे 400006	प्लॉट नंबर 1, ददलाना पार्क, पाडवलाइन रोड के पास, बालकुम, श्रीरंगनगर, ठाणे 400006
जागृति सिक्योरिटीज लिमिटेड	16 गुड्डेचा वैंसर्स, नागिनदास मास्टर रोड, मुंबई - 400023	16 गुड्डेचा वैंसर्स, नागिनदास मास्टर रोड, मुंबई - 400023	प्लॉट नंबर 1, ददलाना पार्क, पाडवलाइन रोड के पास, बालकुम, श्रीरंगनगर, ठाणे 400006

\* एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पता।  
\* एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पता।  
\* एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध पता।

सेबी (इक्विटी शेयरों की अस्वीकृतता) विनियम, 2021 के अनुसार, अनिवार्य अस्वीकृतता के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अस्वीकृतता विनियमों के विनियमन 34(1) के अनुसार, कंपनी, इसके पंचांगिक निदेश, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एम्फ़ी द्वारा प्रवर्तक और उन्मों से किसी के द्वारा प्रवर्तित कंपनियों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक नहीं पहुंच पाएगी या किसी इक्विटी शेयर की सूचीबद्धता की मांग नहीं करेगी या इस अस्वीकृतता की तारीख से दस (10) वर्ष की अवधि तक प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगी।
- ऐसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य सकारात्मक है -
  - ऐसी कंपनी और डिफॉजिटरी प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर की चिकी, मित्रों आदि के मध्यम से हस्तांतरण नहीं करेगी और कोर्पोरेट लाइन जैसे लाभार्थ, यद्दत्त, जोरदार शेयर, शेयर विज्ञापन आदि प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों के लिए तब तक निष्क्रिय रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रवर्तक संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित इन विनियमों के विनियमन 33 के उप-विनियमन (4) का अनुपालन करते हुए पब्लिक शेयरधारकों को निकास विलन्य प्रदान नहीं करते हैं;
  - अनिवार्य रूप से अस्वीकृतता की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्ण-कालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निदेशदायक व्यक्ति भी तब तक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि क्लोज (ए) में उल्लिखित निकास विलन्य प्रदान नहीं किया जाता है।
- सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रवर्तकों पर है।
- अस्वीकृतता विनियमों के विनियमन 33(4) के अनुसार, कंपनी के प्रवर्तक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अस्वीकृतता की तारीख से तीन महीने के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का अनुमान करके सार्वजनिक शेयरधारकों से अस्वीकृतता इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेंगे, जो सार्वजनिक शेयरधारकों की अपनी शेयर रखने की इच्छा पर निर्भर करेगा।
- अस्वीकृतता विनियमों के विनियमन 33 (4) के अनुसार, यदि विनियमन 33 के उप-विनियम (3) के अनुसार देय मूल्य का अनुमान उप-विनियम (4) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर सभी शेयरधारकों को नहीं किया जाता है तो प्रवर्तक ऐसे सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज का अनुमान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनिवार्य अस्वीकृतता ऑफर के तहत अपने शेयर पेश करते हैं।

किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क: अस्वीकृतता विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लानिंग, सी-1, ब्लॉक-जी, बॉम्बे-कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे (पुणे), मुंबई 400 051 को संपर्क किया जा सकता है।  
ई-मेल: v.gandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in, cc के साथ dl-insp-enf-delisting@nse.co.in.

प्रश्नों को अनिवार्य रूप से ऊपर निर्दिष्ट ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी गुणवत्ता प्रश्न को वैध नहीं माना जाएगा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक्सचेंज की तरफ से  
स्थान: मुंबई  
दिनांक: 21 दिसंबर 2024



# क्रेडिट कार्ड भुगतान में देर तो लगेगा ज्यादा ब्याज!

पृष्ठ 1 का शेष

एनसीडीआरसी ने अपने आदेश में कहा था, 'अगर आरबीआई को देश के वित्त और अर्थव्यवस्था का प्रहरी में से एक माना जाता है और मौजूदा ऋण स्थितियां ऐसी हैं कि उसे नीतिगत हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे विचार में देय तिथि से पहले बकाये को भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों से सालाना 36 से 49 फीसदी तक ब्याज वसूला जाता है और यह कर्ज लेने वालों का एक तरह से शोषण है और ऐसा करने वाले बैंकों को नियंत्रित नहीं करने का कोई उचित कारण नहीं है।'

आयोग ने कहा कि आरबीआई ने विभिन्न परिपत्र जारी कर कहा है कि बैंकों को अत्यधिक ब्याज दर नहीं वसूलनी चाहिए लेकिन वह यह निर्दिष्ट करने में विफल रहा कि वह किसे अत्यधिक या सूदखोरी वाला ब्याज दर करेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि 30 फीसदी



ब्याज दर की सीमा हटाए जाने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट कार्ड बिल का देर से भुगतान करने के मामले में ब्याज दर तय करने में सहूलियत होगी। सिरिल अरमचंद मंगलदास में पार्टनर गौहर

मिर्जा ने कहा, 'इससे देय तिथि के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। बैंक बाजार की स्थिति और व्यक्तिगत जोखिम आकलन के आधार पर भी ब्याज दर तय कर सकेंगे। इससे बैंकों को क्रेडिट कार्ड कारोबार से ज्यादा आय मिल सकती है।' बैंकों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेश करने वाले एसएनजी एंड पार्टनर में मैनेजिंग पार्टनर (विवाद समाधान) संजय गुप्ता संजय गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इस फैसले से देश में क्रेडिट कार्ड उद्योग को बड़ी राहत मिली है।

## APPOINTMENTS

ब